



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्यप्रदेश



क्रमांक/एन.एच.एम./NIPI/2015/10251
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 14/09/15

1. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश
2. समस्त, जिला स्वास्थ्य अधिकारी-1
मध्यप्रदेश।

विषय:- समन्वित स्वास्थ्य गतिविधि "नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI)/साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम (WIFS)" का वर्ष 2015-16 हेतु संशोधित निर्धारित लक्ष्य के संबंध में।

संदर्भ:- क्रमांक/एन.एच.एम./NIPI/2015/9429, दिनांक - 20/08/2015

विषयांतर्गत लेख है कि उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न हितग्राही समूहों में एतद् आदेशानुसार वर्ष 2015-16 हेतु आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएं एवं स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य एवं जिलों से प्राप्त DISE/ICDS MPR के आंकड़ों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया गया था। परन्तु संभाग स्तरीय प्रशिक्षण/समीक्षा बैठक में आई.ई.सी.डी. एवं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निर्धारित लक्ष्य में संशोधन किया जाता है।

उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि:-

- 6 से 60 माह के बच्चों एवं 5 से 19 वर्षीय शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में पंजीकृत बच्चों एवं शाला त्यागी/अप्रवेशी बच्चों का विकासखण्डवार लक्ष्य निर्धारण कि गया है।
- राज्य स्तर से रिपोर्टिंग प्रपत्र में विकासखण्डवार निर्धारित लक्ष्य भरकर समस्त जिलों को सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित किया जाएगा तथा उसी के अनुरूप ही जिलों का आई.एफ.ए. अनुपूरण का कवरेज एवं कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
- निर्धारित लक्ष्य अनुसार आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भर कर राज्य स्तर पर ई-मेल आई डी- ddwifsmprnhm@gmail.com पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिलेवार/विकासखण्डवार 6 से 60 माह के बच्चों, 5 से 10 वर्षीय बच्चों एवं 10 से 19 वर्षीय किशोरवयों में प्रतिमाह आई.एफ.ए. अनुपूरण हेतु संशोधित निर्धारित लक्ष्य अनुलग्नक-अ पर संलग्न है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

o/c (डॉ. प्रज्ञा तिवारी)
उपसंचालक-शिशु स्वास्थ्य पोषण
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश

पू. क्रमांक/एन.एच.एम./NIPI/2015/10252

भोपाल, दिनांक 14/09/15

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
4. संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
7. समस्त, जिला पोषण सलाहकार, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

o/c उपसंचालक-शिशु स्वास्थ्य पोषण
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश